| | |
|---|---|
| 12/07/2021<br><br>2017<br>—————<br>00206 | पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पूर्व का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया, का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया एवं संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाजर से जमा हो। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.03 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज)

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : प्रार्थना पत्र 428/2017 (2017/00206)

<u>अनवान</u>

1- विकास पिता श्री सत्यनारायण जी जागेटिया निवासी सैंती चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़

— प्रार्थी

बनाम

1- पार्वती पत्नी श्री द्वारकाप्रसादजी काबरा निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़

2- श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री प्रहलादराय जी जोशी निवासी सुनारों के मन्दिर के पास गांधीनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

उपस्थिति : 1- श्री ललित कुमार भंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2- श्री सत्यनारायण ईनाणी अधिवक्ता विपक्षीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक 12/07/2021

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने विरुद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सैंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मे स्थित आराजी नम्बर 1153 रकबा 0.82 हे० स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी [illegible] कर कब्जे है, जिस पर आने-जाने का कोई रास्ता [illegible] नहीं है। उक्त आराजी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.03 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2557/1152 व 1152 मीन हाइवे रोड चित्तौड़गढ़-उदयपुर के बिच स्थित है। प्रार्थी रास्ते के अभाव मे अपनी आराजी का उपयोग नही कर पा रहा है। प्रार्थी की आराजी पर आने जाने बैल व ट्रेक्टर लाने-ले जाने का 20 फीट चौड़ा रास्ता उदयपुर हाइवे से विपक्षीगण की आराजीयात से होकर किमतन दिलाया जाना सुविधाजनक एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन की कॉलम संख्या 2 मे वर्णित विपक्षीगण की आराजीयात से 20 फीट चौड़ा रास्ता किमतन दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण ईनाणी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत किया ~~कि~~ एवं शपथपत्र भी प्रस्तुत किए। तहसीलदार द्वारा जरिए पत्रांक/333 दिनांक 31/01/2018 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके सम्बन्ध मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट उनकी मौजूदगी व जानकारी मे नही बनाई गई एवं उसमे सारे तथ्यों का समावेश नही है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति रास्ते सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए क्रमांक/2019 दिनांक 26/12/2019 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्राप्त रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थी की ओर से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि पूर्व मे प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे, जिसका जवाब अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहस प्रारम्भ उभय पक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.03 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने के लिए प्रार्थी द्वारा सुझाये गए रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। तहसीलदार सा द्वारा दुबारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमे जो रास्ता बताया गया, वह मौके पर उपलब्ध नही है। रास्ता नाले मे होकर बताया है जहां से आना जाना ही सम्भव नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रिपोर्ट दिनांक 30/01/2018 अनुसार प्रार्थी को कीमतन रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण की आराजीयात मौजा सैंती की होकर चित्तौड़गढ़ - निम्बाहेड़ा रोड पर स्थित है, न कि चित्तौड़गढ़ - उदयपुर हाइवे पर। प्रार्थी की आराजी का कदीमी रास्ता, उसकी आराजी के पश्चिम की तरफ अवस्थित हैं, जिसका उपयोग प्रार्थी के विक्रेता करीम से करते रहे है। प्रार्थी ने कुछ समय पूर्व ही आराजी खरीदी है, जबकि उसके विक्रेता इस कदीमी रास्ते का उपयोग करते रहे है, जो चालू है। विपक्षीगण की आराजीयात को राज्य सरकार द्वारा टूयरिज्म विकास हेतु होटल प्रोजेक्ट के लिए एप्रुव किया गया है, जिससे द्वेष वश प्रार्थी ने यह आवेदन प्रस्तुत किया है। विपक्षी प्रत्येक की आराजीयात 525 फीट बाई 70 फीट है जिसमे से रोड पर मात्र 70 फीट की चौडाई है, जिससे छोटे से भूखण्ड मे रास्ता देना किसी भी प्रकार सम्भव नही है। प्रार्थी की आराजी पर आने जाने के लिए पहले से रास्ता मौजूद है। अतः विपक्षीगण का जवाब स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.03 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसके संलग्न पर्चा मौका से जाहिर आया कि प्रार्थी की ग्राम खेती की आराजी नं. 1153 रकबा 0.82 हे. मे आने जाने हेतु आ.नं. 1206 एवं 1205 मे सडक बनी हुई है एवं आ.नं. 1214, 1215, 1216, 1217 मे ट्रेक्टर, गाडी आदि जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। आ.नं. 1153 के पूर्व खातेदार श्री किशना पिता भेरूलाल गुर्जर निवासी खेती द्वारा भी उक्त रास्ते का ही उपयोग करना जाहिर किया। इस प्रकार तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। यहां यह ~~उल्ले~~ उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए आर.टी.ए. के अन्तर्गत काश्तकार को अपनी आराजीयात तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव मे रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता के आधार पर रास्ता दिया जाने का प्रावधान है। जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो प्रार्थी को सुविधा अनुसार रास्ता दिया जाना अधिनियम की धारा 251 ए का मन्तव्य नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नही पाया जाने से खारीज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12/7/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.03 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested

(... बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)